

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं०

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ० नि० ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022  
प्र० इ० रि० सं० 13 / 2022 दिनांक 17-1-22  
(I) पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, 7ए, 8, 12 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 एवं 120बी भा.द.सं.  
(II) अधिनियम..... धाराएं -120बी भा.द.सं.  
(III) अधिनियम..... धाराएं.....  
(IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं.....
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 409 समय 5-30 PM  
(ब) अपराध घटने का दिन..... दिनांक 17-1-22 समय.....  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..... समय.....
3. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :-  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब  
(ब) पता - .....  
..... बीट संख्या..... जरायमदेही सं.  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.....  
पुलिस थाना..... जिला.....
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :- श्री सूरज बाली हैड कानि० 82 तकनीकी शाखा भ्रनिब्यूरो जयपुर  
(अ) नाम -  
(ब) पिता/पति का नाम  
(स) जन्म तिथि/वर्ष.....  
(द) राष्ट्रीयता.....  
(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि.....  
जारी होने की जगह.....  
(र) व्यवसाय.....  
(ल) पता -
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
1. श्री लालाराम यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव निवासी ग्राम सेवापुरा चाकसू जयपुर हाल तहसीलदार तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा  
2. श्री कैलाश धाकड पुत्र श्री लालूराम धाकड निवासी 101, छोटा नया गांव मालका खेडा, बिजौलीया भीलवाडा  
3. श्री मनोज धाकड पुत्र श्री कैलाश धाकड निवासी 101, छोटा नया गांव मालका खेडा, बिजौलीया भीलवाडा  
4. श्री दीपक चौधरी पुत्र श्री भूपाल सिंह चौधरी निवासी गांधीनगर भीलवाडा  
5. श्री पूरणमल यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव निवासी ग्राम सेवापुरा चाकसू जयपुर  
6. एवं अन्य
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां ( यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या ( अगर हो तो ).....
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्री कैलाश धाकड पुत्र श्री लालूराम धाकड निवासी 101, छोटा नया गांव मालका खेडा, बिजौलीया भीलवाडा द्वारा श्री लालाराम यादव तात्कालिन तहसीलदार बिजौलीया हाल तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा से भीलवाडा की विभिन्न तहसीलों/उपखण्ड कार्यालयों के राजस्व व अन्य मामलों में सांठगांठ कर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होकर रिश्वत राशि लेनदेन किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस भ्रष्ट आचरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा स्वयं के पास व अन्य अधिकारियों के पास पैण्डिंग कार्य करने व करवाने के लिए रिश्वत राशि दलालों के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

सूरज बाली



उक्त सूचना के गोपनीय सत्यापन पर ज्ञात हुआ कि श्री कैलाश धाकड पुत्र श्री लालूराम धाकड निवासी 101, छोटा नया गांव मालका खेडा, बिजौलीया भीलवाडा व उसका पुत्र श्री मनोज धाकड द्वारा तहसील कार्यालय बिजौलिया व भीलवाडा में पैण्डिंग व विवादास्पद कार्यों को करवाने की एवज में रिश्वत राशि प्राप्त की जाकर सम्बन्धित भ्रष्ट अधिकारियों को प्रदान की जाती है। श्री कैलाश धाकड द्वारा मोबाईल नं. 9001206712 व 9414576712 का प्रयोग करता है। श्री कैलाश धाकड द्वारा इन मोबाईलों का प्रयोग करते हुए तहसील कार्य में पैण्डिंग कार्य की स्थिति के बारे में संबंधितों को नियमित रूप से अपडेट दिये जाते हैं और उसकी एवज में संबंधित अधिकारियों से सांठ-गांठ कर रिश्वत राशि का लेनदेन किया जाता है।

उक्त सूचना के सत्यापन में श्री कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9001206712 व 9414576712 व श्री लालाराम यादव तहसीलदार के मोबाईल नम्बर 7726811772 व 9783384384 की सीडीआर प्राप्त की जाकर श्री सूरज बाली हैडकानि. 82 द्वारा विश्लेषण किया गया तथा गोपनीय रूप से निगरानी की जाकर सत्यापन किया गया तो श्री कैलाश धाकड का तहसील कार्यालय बिजौलिया व भीलवाडा के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क होना पाया गया, जिस पर उक्त मोबाईल नम्बर को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त अन्तावरोध पर लिया गया तथा, श्री सूरज बाली हैड कानि. 82 तकनीकी शाखा, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर द्वारा सुना जाकर सत्यापन किया गया, जिसमें सूत्र सूचना के तथ्यों की पूर्णरूपेण पुष्टि होती है।

श्री कैलाश धाकड (प्राइवट व्यक्ति) के मोबाईल नं. 9001206712 व 9414576712 व श्री लालाराम यादव तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा के मोबाईल नम्बर 7726811772 व 9783384384 के अन्तावरोध अवधि में उनके द्वारा लोकसेवको तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से की गई संदिग्ध वार्ताओं का सार निम्नानुसार है :-

1. दिनांक 04.10.2021 को समय 20:36:04 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9001206712 तथा श्री लालाराम के मोबाईल नं. 9783384384 पर हुई वार्ता में श्री कैलाश द्वारा लालाराम से परिवार व उसके कुशलक्षेम पुछी जाती है तत्पश्चात लालाराम द्वारा चला कर पूछा जाता है कि "आपके उसका क्या हुआ तारीख आगे दी है क्या उसमें" जिस पर कैलाश चौंककर कहता है "किसका?" फिर लालाराम कहता है "अरे वो उसका था ना क्या नाम" जिस पर कैलाश कहता है "रास्ते वाले का।" लालाराम कहता है "नहीं नहीं रास्ते वाले की तो आप तारीख बता रहे थे 10-12, कौनसी बता रहे थे।" जिस पर कैलाश कहता है "अक्टूबर बता रहे थे आप।" फिर लालाराम कहता है "हां और ये जो चल रहा था ना आपके सेठ जी (दीपक चौधरी पक्षकार) का।" जिस पर कैलाश कहता है "उसमें 25 अक्टूबर दे रखी थी शायद।" फिर लालाराम कहता है "अब 25 अक्टूबर दे दी क्या तारीख? फिर क्या कैलाश कहता है कि "हां अभियान है उसमें दे दी बताये ऐसा कह रहे थे दीपक जी" जिस पर लालाराम कहता है "अच्छा अच्छा"। उसके बाद जोर देते हुए कैलाश कहता है कि "ठीक है ना हुक्म और आप मिल लेना जो हो मुझे बता देना।" फिर लालाराम कहता है "हां ठीक है मैं देखता हूं, मैंने तो बोला था उस दिन भी (किसी अन्य महिला अधिकारी के लिए) तो उसने बोला की टाईम मिला तो मैं कर दूंगी, नहीं तो फिर आगे तारीख।" जिस पर कैलाश कहता है कि "नोटिस नहीं मिला तो उसमें दिक्कत आई तो अक्टूबर तारीख दे दी।" जिस पर लालाराम कहता है अच्छा। फिर कैलाश कहता है कि आप मालूम कर लेना मैं हाजिर हो जाऊंगा आज तारीख 4 तो हो ही गई। जिस पर लालाराम कहता है "ठीक है मैं उनसे बात करके मालूम करूंगा।"

(उक्त वार्ता में लालाराम द्वारा पक्षकार दीपक के पैण्डिंग कार्य में रुची लेकर कैलाश से बात करना व किसी महिला अधिकारी से काम करवाने की वार्ता की पुष्टि होती है।)

2. दिनांक 10.10.2021 को समय 14:29:49 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9414576712 तथा श्री लालाराम के मोबाईल नं. 7726811770 पर हुई वार्ता में श्री कैलाश द्वारा लालाराम से पूछा जाता है कि "सर भीलवाड़ा ही विराज रहे हैं" जिस पर लालाराम "हां भीलवाड़ा ही हूं" जिस पर कैलाश कहता है कि "सर मैं आऊं क्या सोमवार को मेरी पेशी है, पत्थरगाढ़ी रास्ते वाली की" जिस पर लालाराम कहता है कि "सोमवार को है क्या आपकी पेशी?" जिस पर कैलाश कहता है कि "नहीं-नहीं सर आपने पहले अक्टूबर में बताई थी जो इसलिए याद दिला दिया" जिस पर लालाराम कुछ बुदबुदाते हैं फिर कहता है कि "हां वो क्या है चार्ज है जो, वो बैठे या नहीं"(महिला

सूरज बाली



अधिकारी) जिस पर कैलाश कहता है " नहीं-नहीं सर सेठजी वाली नहीं कह रहा मैं तो मेरी कह रहा हूं रास्ते वाली", जिस पर लालाराम कहता है कि "क्या नाम से, मैडम अजमेर से आती है आरएए कोर्ट में हैं ना आपका रास्ता" तभी कैलाश कहता है कि "अच्छा आप तारीख का पता कर लेना" जिस पर लालाराम कहता है "हां मैं मालूम करूंगा" व पूछता है कि "क्या नाम से है वो" तब कैलाश जवाब देता है कि "सर वो रामलाल वर्सेज दुर्गालाल" तब लालाराम नाम रिपीट करते हुये पूछता है कि "अपना कौन है इसमें से, रामलाल है कि दुर्गा" तो कैलाश जवाब देता है कि "अपना रामलाल है सर" तब लालाराम कहता है "अच्छा-अच्छा" और पूछता है कि "अपील दुर्गालाल ने की है क्या, वहां पे?" कैलाश तपाक से कहता है "हां, अपील दुर्गालाल ने की है" तब लालाराम "ठीक है,—ठीक है" कह कर फोन रख देता है।

(उक्त वार्ता में लालाराम व कैलाश द्वारा दो भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए काम कराने की बात की पुष्टि होती है।)

3. दिनांक 17.10.2021 को समय 18:33:58 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं 9001206712 तथा श्री लालाराम के मोबाईल नं. 9783384384 पर हुई वार्ता में सर्वप्रथम घर परिवार के बारे में वार्ता होती है फिर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि आदेश करो सर जिस पर लालाराम कहता है कि बून्दी में कंवारिया कोई जगह है क्या जिस पर कैलाश द्वारा केवडिया होगा सर साथ ही कहता है खेती की जमीन चाहिए पत्थर की इस पर लालाराम द्वारा कहा जाता है कि पत्थर की ही, तत्पश्चात लालाराम द्वारा चलाकर पूछा जाता है कि "उनकी तारीख कब की है अब।" जिस पर कैलाश बोलता है "किनकी" तो लालाराम कहता है "आपके सेठजी वाली" कैलाश कहता है कि "सेठ जी वाली तारीख तो 25 बता रहे थे मेरे को 25 अक्टूबर" जिस पर लालाराम द्वारा कहा जाता है कि "वो कह रही थी कि मैंने बोला था पर उनका वकील ही लेकर गया है कि लम्बी दे दो मुझे तारीख बार बार" जिस पर कैलाश कहता है कि "अगेंसट वाला वकील ले जाता होगा अपना नहीं ले जाता होगा।" जिस पर लालाराम मनाही करता और जोर देकर कहता है "वो कह रही थी आपका खुद का वकील ही लम्बी तारीखा लेकर गया है" जिस पर कैलाश वकील को गाली देता है, जिस पर लालाराम कहता है कि "वो रीडर है ना रीडर कह रहा था कि नहीं, उसी के वकील ने कहा कि मुझे तो लम्बी तारीख दे दो आप।" जिस पर कैलाश कहता है "चलो मैं बात करूंगा समझूंगा मेरे को 25 तारीख बताई थी।" लालाराम कहता है कि "वो वकील बोलता क्यों नहीं है वहां पर, वो क्या है इन्होंने जो ऑब्जेक्सन लगाया है ना उसका जवाब नहीं दे रहे तो जवाब बन्द कराओ।" जिस पर कैलाश सहमति प्रकट करता है और कहता है "दीपक जी भी यही कह रहे थे कि बार बार जवाब नहीं दे रहे एक बार सुनने का मौका दिया।" भीलवाड़ा आउं रास्ते का और इसका पता करना फिर सुलटाएंगे। जिस पर लालाराम कहता है कि "आओ, मैडम के पास क्या है ना चार्ज है वो आती बहुत कम है।" जिस पर कैलाश कहता है कि "नहीं सर, जब आयेगी तब सुलटे काम" जिस पर लालाराम "हूं हूं" सहमति प्रकट करते हुए कहता है कि "ठीक है फिर मैं बुलाउंगा आपको।" कैलाश कहता है "ठीक है सर मैं वहां आउंगा जब मिलेंगे आप मिलो मैं मिलूं एक ही बात है।" जिस पर लालाराम "हां हां कोई नहीं कहता है।"

4. दिनांक 25.10.2021 को समय 08:03:52 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9001206712 तथा श्री लालाराम के मोबाईल नं. 7726811772 पर हुई वार्ता में श्री कैलाश द्वारा श्री लालाराम के स्वास्थ्य का हाल चाल जानने के पश्चात कहा जाता है कि "वो दीपक जी अभी मिलने आ जायेंगे आपसे बात करके। ठिक है ना सर।" कहकर बात खत्म करता है जिस पर लालाराम कहता है कि "उनका है क्या आज कोई" जिस पर कैलाश कहता है "उनकी पेशी है ना सर" जिस पर लालाराम कहता है "अच्छा अच्छा" उसके पश्चात कैलाश कहता है कि "कल परसो भेजता तो आप परीक्षा में व्यस्त थे" जिस पर लालाराम सहमति प्रकट करता है फिर कैलाश कहता है "अभी आ जायेंगे वो उनको कुछ हो जो बता देना आईडिया या मेरे को बता देना, है ना सर।" जिस पर लालाराम द्वारा "ठीक-ठीक है" कहा जाकर सहमति दी जाती है।

(उक्त वार्ता में कैलाश द्वारा लालाराम को दीपक पक्षकार से मिलने व उसके कार्य के एवज में रिश्वत की बात दीपक से करने की पुष्टि होती है।)

सूरा वली



5. दिनांक 23.11.2021 को समय 10:56:36 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9414576712 तथा श्री दीपक उर्फ विजय के मोबाईल नं. 9602101708 पर हुई वार्ता में कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "बात नहीं हुई बात करके बताओ ना" (लालाराम से), जिस पर दीपक द्वारा कहा जाता है कि "फोन आ गया मेरे पास व कहा है कि आप कहां हो तो मैंने कहा यहीं हूं।" (लालाराम द्वारा दीपक को) – "आ जाओ अभी आ जाओ मेरे पास ऑफिस में, मैंने कहा आ रहा हूं" जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "हां तो आप जा आओ।" जिस पर दीपक द्वारा "ठीक है" कहा जाकर जाने के लिए सहमति दी जाती है।  
(उक्त वार्ता से स्पष्ट है कि दीपक चौधरी को लालाराम ने फोन करके (सम्भवतः वाट्सअप कॉल) ऑफिस में बुलाने के लिए कहा जाता है)
6. दिनांक 23.11.2021 को समय 11:44:13 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं 9414576712 तथा श्री दीपक के मोबाईल नं. 9414116005 पर हुई वार्ता में कैलाश द्वारा पूछा जाता है कि जा आया जिस पर दीपक कहता है कि बस अभी रास्ते में बात होती आई "बहुत ज्यादा मांग री, 5 मांग रही है(महिला अधिकारी)" जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है "काई मांग री साडे चार।" जिस पर दीपक द्वारा कहा जाता है कि "पांच-पांच।" जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "पांच लाख" तथा दीपक द्वारा हुं कहा जाता है। जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "भूख बहुत ज्यादा है आप तो अपने हिसाब से जो हो बता दो" जिस पर दीपक द्वारा "लाख-दो लाख रुपये तक देने की सहमति दी जाती है।"  
(उक्त वार्ता से स्पष्ट है कि दीपक चौधरी पक्षकार का किसी महिला अधिकारी के पास कार्य पैण्डिंग है जिसको करवाने की एवज में उक्त महिला अधिकारी द्वारा पांच लाख की मांग की जा रही है। श्री दीपक द्वारा श्री कैलाश से उनके परिचित लालाराम तहसीलदार के मार्फत उक्त महिला अधिकारी से लालाराम को लाख- दो लाख रुपये तक देने की सहमति दी जाती है। )
7. दिनांक 23.11.2021 को समय 13:28:42 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं 9414576712 तथा श्री दीपक के मोबाईल नं. 9414116005 पर हुई वार्ता में कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "हो गई बात।" जिस पर दीपक द्वारा कहा जाता है कि "मैं तो अभी वापस आया मैंने कहा करे तो ठीक है नहीं तो मैं तो एक से ज्यादा नहीं कर सकता।" जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "बता दिया वाने।" जिस पर दीपक द्वारा कहा जाता है कि "वो तो एक लाख के लिए मना कर रहे थे एक में नहीं पडता मैंने कहा "आप कह रहे हो तो दो कर दूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाउंगा बस।" जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "वाजीब बात, चालता रहे कोर्ट में" जिस पर दीपक द्वारा कहा जाता है कि "चलते रही सात ग्यारा को ही तो खारीज वो करेगी, अपना दावा तो चल ही रहा है ना" जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "खारीज भी नियमानुसार ही तो करेगी (किसी महिला अधिकारी के लिए)यों तो घर को राज नहीं हैं ना। तत्पश्चात कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "तहसीलदार साहब से हुई ना बात या खुद गया।" जिस पर दीपक द्वारा कहा जाता है कि "नहीं नहीं तहसीलदार साहब से ही हुई मेरी तो मैं खुद कहां गया" जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "हां तो चलो सो बाता की एक बात क्लियर हो गई आपा अपनी बात बता दी।"  
(उक्त वार्ता से स्पष्ट है कि दीपक चौधरी का लालाराम द्वारा ऑफिस में बुलाना तथा अपने कार्य की एवज में लालाराम तहसीलदार के मार्फत किसी महिला अधिकारी से रिश्वति राशि फिक्स करने के प्रयास किये गये हैं)
8. दिनांक 23.11.2021 को समय 19:40:44 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9414576712 तथा श्री मनोज के मोबाईल नं. 9587238101 पर हुई वार्ता में मनोज द्वारा कहा जाता है कि "तहसील में साहब को फोन आयो लालाराम जी को, जो बात करबा चा रया छ वाट्सअप पे जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है उनको कहो 15 मीनट बाद रुक कर लेना।  
(उक्त वार्ता में मनोज द्वारा अपने पिता कैलाश को स्वयं के मोबाईल पर लालाराम का कॉल आने की सूचना व बात करने के लिए कहा जाता है जिससे यह पुष्टि होती है कि लालाराम द्वारा मनोज के पास वाट्सअप कॉल किया जाता है व रिश्वति लेनदेन की वार्ता वाट्सअप पर ही मनोज व कैलाश से करता है।)

इस वार्ता



9. दिनांक 29.11.2021 को समय 12:01:57 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9001206712 तथा श्री लालाराम के मोबाईल नं. 9783384384 पर हुई वार्ता में श्री कैलाश द्वारा अभिवादन व कुशलक्षेम पुछी जाती है तत्पश्चात लालाराम पुछता है "उनका क्या हुआ आपके सेठ जी (दीपक चौधरी पक्षकार)का। जिस पर कैलाश चौककर कहता है वो **आपके पास नहीं आये?** लालाराम कहता है नहीं तीन चार दिन हो गये। जिस पर कैलाश कहता है मैं पुछकर बताउंगा आज आपको। (उक्त वार्ता में लालाराम द्वारा पक्षकार दीपक के प्रकरण में रूची लेते हुए उसके बारे में कैलाश से पूछा जाता है व मिलने ना आने का उलाहना दिया जाता है)
10. दिनांक 29.11.2021 को समय 18:24:01 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9001206712 तथा श्री लालाराम के मोबाईल नं. 9783384384 पर हुई वार्ता में श्री कैलाश द्वारा सीधे ही बताया जाता है कि "सर वो (दीपक चौधरी पक्षकार) तो बोम्बे गये हुए हैं" और कहा जाता है कि **"अभी मैं मनोज के वाट्सअप से बात कर लूंगा"** फिर दोबारा कहता है कि **"मनोज के वाट्सअप से ही बात करूंगा मैं ना सर।"** जिस पर लालाराम द्वारा **"हां"** कहकर सहमति प्रकट की जाती है व दोबारा जिज्ञासावस पुछता है कि **"मुम्बई गये हैं क्या ईलाज कराने?"** जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि हां मुम्बई गये हैं ईलाज करवाने। फिर कैलाश कहता है कि **"वो तो मैं जो उनकी मेरी जो बात हुई वो बता दूंगा वाट्सअप पर मैं कर दूंगा सर।"** जिस पर लालाराम धीमें स्वर में कहता है कि **"कोई नहीं।"** (उक्त वार्ता में कैलाश द्वारा लालाराम को पक्षकार दीपक मुम्बई जाने व उनके बीच में वार्ता वाट्सअप पर करने की पुष्टि होती है। )
11. दिनांक 30.11.2021 को समय 19:01:33 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9414576712 तथा श्री दीपक के मोबाईल नं. 9414116005 पर हुई वार्ता में कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "कल साहब का उनका फोन आया था ना तो रात को कटे शादी वादी में गया। **वे कहया मैडम अढाई कह रही है, मैंने कहा जो काम करो करवा दिजयो मैं पैसा भिजवा दूंगा** या बात है। अब मान लो कर या न कर यो बता दे।" जिस पर धीमें स्वर में दीपक चौधरी द्वारा **"ठीक है ठीक व कर देई"** कहा जाता है। व दीपक चौधरी द्वारा कहा जाता है कि **"सामने वाला तो कोई आ ही नहीं रहा देने वाले तो अपन ही"** हैं। तत्पश्चात कैलाश द्वारा कहा जाता है कि **"मैं कह दियो वाट्सअप पर कह दिया, वो पांच मांगे क्या मांगे मुझे पता नहीं है वो पैसा, बोला ढाई की कह रही थी मैंने बोला ढाई ना बैठे। ठीक है ना"** जिसके बाद दीपक चौधरी द्वारा वापस (मुम्बई से) आने में 10-15 दिन लगने की बात कही जाती है। (उक्त वार्ता में कैलाश द्वारा लालाराम का कॉल (वाट्सअप पर) आने व पैसे के बदले काम करवा देने की बात दीपक चौधरी का कही जाती है जिस पर दीपक चौधरी द्वारा भी सहमति दी जाती है।)
12. दिनांक 24.12.2021 को समय 11:23:13 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9001206712 तथा रामकेश मीणा के मोबाईल नं. 8949390189 पर हुई वार्ता में श्री कैलाश द्वारा रामकेश को साहब कह कर अभिवादन किया जाता है व कहा जाता है कि **"मैं सिलवाटिया पहुंच गया हूं"** तो रामकेश कुछ सोचते हुये कहता है कि आप सिलवाटिया पहुंच गये तो मैं दो मिनट बाद फोन करता है इतने में ही कैलाश कहता है कि "पवनपुत्र कम्प्यूटर मोबाइल वाले की दुकान के सामने ही खड़ा हूं" तो रामकेश सोचते हुये कहता है कि **"तो जाओ अन्दर जाओ"** जिस पर कैलाश कहता है कि **"ठीक है एक मिनट जाता हूं"** फिर वहां जाकर दुकान वाले को कहता है कि **"एक मिनट भाईसाहब, पटवार साहब से बात कर लो आप"** जिस पर दुकान वाले व रामकेश की कैलाश के फोन पर बातचीत होती है तो रामकेश दुकान वाले को कहता है कि "ये कहवे जो कर दो" जिस पर दुकान वाला कैलाश से पूछता है कि "क्या करना है" फिर रामकेश को फोन पर कहता है कि "यह तो कुछ नहीं कह रहे" और कहता है कि यह (कैलाश) कह रहे हैं कि "रामकेश जी कहे जो कर दो" तो रामकेश कहता है कि "ये जिस काम से आये हैं वो कर दो ना" जिस पर दुकान वाले के नहीं समझने पर कैलाश फोन लेता है और गुस्से में कहता है कि "अरे सर आपने किसके लिए बुलाया मुझे इधर? तो रामकेश कहता है कि **"गिरदावर साहब ने कहा था जो"** जिस पर कैलाश जोर देकर कहता है कि **"हां गिरदावर साहब ने आपके लिए कहा तभी तो मैं आया"** जिस पर

सूख वाली



रामकेश कैलाश को कहता है कि "इन्हें कहो ना" तब कैलाश दुकान वाले को कहता है कि "पेमेंट के लिए" जिस पर दुकान वाला कहता है "कतरा के लिए कहा" और कन्फर्म करते हुए कहता है कि "अपन को इन्हें देना है मतलब" तब रामकेश "हूं" कह कर सहमति प्रदान करता है फिर दुकान वाला कहता है "वो है जो दे दूं काली थैली का" जिस पर रामकेश कन्फ्यूज होकर कहता है "यार देखे, मुझे पूछने दे" जिस पर दुकान वाला कहता है कि "ठीक है पूछ लो, मुझे फोन लगाना अब" तब रामकेश हां कहता है।

(उक्त वार्ता में कैलाश द्वारा पटवार रामकेश के जानकार की दुकान से गिरदावर के लिए पैसा लेकर जाने की बात की पुष्टि होती है। )

13. दिनांक 02.12.2021 को समय 13:21:17 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9414576712 तथा श्री दीपक के मोबाईल नं. 9414116005 पर हुई वार्ता में कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "हां भाईसाहब आज उनका फोन आया शाम को कैम्प के बाद में बात कर लें और ना हो(आप नहीं हो तो) सुमी को भेज देना" जिस पर दीपक कहता है कि "नहीं, ऑर्डर तो हो गये शायद" जिस पर कैलाश कहता है कि "ऑर्डर तो हो गये पिसा तो ले" जिस पर दीपक धीमें स्वर में कहता है "हां पैसे नहीं लिये" और सोचकर कहता है कि "आप ले लेना मेरे से और आप दे देना" जिस पर कैलाश सहमति प्रकट करते हुए कहता है "और कहीं मैडम को देना हो तो मैं देबा जाऊं और काई" जिस पर दीपक कहता है कि "पूछ लो उनसे पूछ लो" जिस पर कैलाश कहता है कि "शाम को कैम्प(पट्टा अभियान) के बाद छ सात बजे बात करके बता देना" जिस पर दीपक कहता है "ठीक है।"

(उक्त वार्ता में दीपक का कार्य हो जाने की एवज में रिश्वति राशि लालाराम तहसीलदार या किसी महिला अधिकारी को देने हेतु कैलाश को अधिकृत करने की पुष्टि होती है व दोनों की आपस में सहमति भी प्रकट होती है।)

14. दिनांक 05.12.2021 को समय 13:47:33 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9001206712 तथा श्री लालाराम के मोबाईल नं. 9783384384 पर हुई वार्ता में श्री कैलाश द्वारा कहा जाता है कि वो तो (पक्षकार दीपक चौधरी) मुम्बई गये हैं "आपके पास ... है व्यवस्था तो उनमें से ही कर दो ना मैं दे दूंगा कल या मैं कल आऊं लेके।" (रिश्वती राशि) जिस पर श्री लालाराम द्वारा हंसते हुए कहा जाता है कि "वो बता रहे थे ना उनका कोई लडका।" जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "अरे सर वो भी बोम्बे गया है। ऐसा है श्रीमान के पास व्यवस्था हो तो कर दें नहीं तो फेर मैं हाजीर होऊंगा हैं न" जिस पर लालाराम द्वारा सहमती दी जाती है। कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "कई बार भलाई करने में उल्टा भी हो जाता है क्या करें सर।" जिस पर लालाराम द्वारा कहा जाता है "हां ठीक है। तत्पश्चात कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "वो तो किलो (रिश्वती राशि एक लाख कोड वर्ड में ) की ही कह रहे थे पर आप जो उचित समझो देख लेना है, हैं ना, ठीक हुकम" जिस पर लालाराम द्वारा "हुं हुं" कहा जाता है। तत्पश्चात कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "आप से दो किलो (रिश्वती राशि दो लाख कोड वर्ड में) कि व्यवस्था न बैठे लहसन की तो मुझे कहना मैं ले आऊंगा हुकम" जिस पर लालाराम द्वारा "ठीक है" कहकर सहमती प्रकट की जाती है।

(उक्त वार्ता में कैलाश द्वारा लालाराम को पक्षकार दीपक के कार्य करवाने की एवज में रिश्वति राशि किलो दो किलो लहसून आदि में बात की जाती है व लालाराम द्वारा कैलाश के द्वारा रिश्वति राशि स्वयं के द्वारा देने की कहने पर सहमति देने की पुष्टि होती है। )

15. दिनांक 07.01.2022 को समय 14:27:34 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9001206712 तथा श्री मनोज के मोबाईल नं. 9587238101 पर हुई वार्ता में मनोज द्वारा कहा जाता है कि "लालाराम जी को फोन आ रयो।" जिस पर कैलाश द्वारा कहा जाता है कि "काई ख्यो?" जिस पर मनोज द्वारा कहा जाता है कि "कयो यार एक अकाउन्ट नम्बर देऊं इम तीन डाल दे, तीन डाल दे खरया अकाउन्ट मैं " जिस पर कैलाश द्वारा "हां डाल दयो" कहा जाता है। फिर मनोज द्वारा कहा जाता है कि "व कहया आपके पापा से बात करा देना।" जिस पर कैलाश द्वारा पुनः कहा जाता है "हां डाल दयो तीन परात।" जिस पर मनोज द्वारा कहा जाता है कि "हां डाल देऊं।"

सूचना



(उक्त वार्ता में मनोज द्वारा अपने पिता कैलाश को स्वयं के मोबाईल पर लालाराम का कॉल (वाट्सअप पर) करके तीन लाख रुपये खाते में डालने के लिए कहना व अकाउन्ट नम्बर वाट्सअप पर भेजना तथा कैलाश द्वारा तीन लाख रुपये रिश्वति राशि लालाराम तहसीलदार द्वारा भेजे गये बैंक खाते डालने की सहमति दी जाती है।)

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वार्ताओं एवं दीगर अन्तावरोध वार्ताओं तथा सूत्र सूचना के सत्यापन में मोबाईल अन्तावरोध पर लिये गये कैलाश धाकड व श्री लालाराम यादव तहसीलदार भीलवाडा की संदिग्धों से हुई सम्बन्धित वार्ताओं को सुनने पर प्रकट हुआ कि कैलाश धाकड व उसके पुत्र श्री मनोज धाकड द्वारा श्री लालाराम यादव तहसीलदार से सम्बन्धित कार्य करवाने की एवज में उनके द्वारा मांग किये जाने पर रिश्वत राशि प्रदान की जाती है और यह कार्य श्री लालाराम यादव तहसीलदार एवं कैलाश धाकड व उसके पुत्र श्री मनोज धाकड के मध्य आपसी सहमति एवं सामजंस्य से किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 02.12.2021 को समय 13:21:17 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9414576712 तथा श्री दीपक के मोबाईल नं. 9414116005, दिनांक 05.12.2021 को समय 13:47:33 को कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9001206712 तथा श्री लालाराम के मोबाईल नं. 9783384384 पर हुई वार्ता के अनुसरण में दीपक चौधरी के कार्य को किसी महिला अधिकारी से करवाने की एवज में श्री लालाराम तहसीलदार भीलवाडा को रिश्वति राशि देने के लिए दिनांक 07.01.2022 को समय 14:27:34 को श्री कैलाश धाकड के मोबाईल नं. 9001206712 तथा श्री मनोज के मोबाईल नं. 9587238101 पर हुई वार्ता में मनोज धाकड द्वारा दिनांक 07.01.2022 को श्री लालाराम यादव तहसीलदार भीलवाडा द्वारा जरिये वाट्सअप ( पूर्व में श्री कैलाश धाकड की श्री लालाराम यादव से हुई वार्ता के अनुसरण में ) तीन लाख रुपये रिश्वत राशि बैंक खाते में डालने के लिए कहा जाता है। जिसके अनुसरण में श्री मनोज धाकड द्वारा अपने पिता से जरिये मोबाईल सहमति लेकर श्री लालाराम यादव तहसीलदार द्वारा श्री मनोज धाकड को वाट्सअप पर भेजे गये स्वयं के भाई श्री पूरणमल यादव के बैंक खाते में तीन लाख रुपये डाले गये हैं जिसकी पुष्टि संबंधित बैंको से प्राप्त डिटैल के आधार पर की जा चुकी है।

श्री लालाराम यादव तहसीलदार भीलवाडा द्वारा श्री कैलाश धाकड से दीपक चौधरी पुत्र श्री भूपाल सिंह चौधरी निवासी गांधीनगर भीलवाडा के उपखण्ड भीलवाडा में किसी महिला अधिकारी से पैण्डिंग कार्य करवाने की एवज में रिश्वति राशि की मांग की गई तथा दिनांक 07.01.2022 को श्री मनोज धाकड पुत्र कैलाश धाकड (मनोज कुमार धाकड खाता संख्या 14350100004027 बैंक ऑफ बडौदा) से अपने भाई श्री पूरणमल यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव निवासी सेवापुरा तह0 चाकसू जिला जयपुर के खाते में (पी.एम. कन्सट्रक्सन का खाता सं. 34470200000083 बैंक ऑफ बडौदा) तीन लाख रिश्वति राशि डलवाई गई है।

अतः 1. श्री लालाराम यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव निवासी ग्राम सेवापुरा चाकसू जयपुर हाल तहसीलदार तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा, 2. श्री कैलाश धाकड पुत्र श्री लालाराम धाकड निवासी 101, छोटा नया गांव मालका खेडा, बिजौलीया भीलवाडा, 3. श्री मनोज धाकड पुत्र श्री कैलाश धाकड निवासी 101, छोटा नया गांव मालका खेडा, बिजौलीया भीलवाडा, 4. श्री दीपक चौधरी पुत्र श्री भूपाल सिंह चौधरी निवासी गांधीनगर भीलवाडा 5. श्री पूरणमल यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव निवासी ग्राम सेवापुरा चाकसू जयपुर 6. एवं अन्य का कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8,12 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 एवं धारा 120बी भा.द.सं. के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

सूरज बाली  
HC 82

(सूरज बाली)

हैडकानि0 82,


तकनीकी शाखा

भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर

दिनांक 17.01.2022

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सूरज बाली हैड कानि0 82 तकनीकी शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8, 12 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 एवं 120बी भा.द.सं. में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री लालाराम यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव निवासी ग्राम सेवापुरा चाकसू जयपुर हाल तहसीलदार तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा, 2. श्री कैलाश धाकड पुत्र श्री लालूराम धाकड निवासी 101, छोटा नया गांव मालका खेडा, बिजौलीया भीलवाडा, 3. श्री मनोज धाकड पुत्र श्री कैलाश धाकड निवासी 101, छोटा नया गांव मालका खेडा, बिजौलीया भीलवाडा, 4. श्री दीपक चौधरी पुत्र श्री भूपाल सिंह चौधरी निवासी गांधीनगर भीलवाडा 5. श्री पूरणमल यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव निवासी ग्राम सेवापुरा चाकसू जयपुर 6. एवं अन्य के विरुद्ध अपराध संख्या **13 /2022** उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर तफ्तीश श्री राजेन्द्र सिंह नैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष ईकाई-प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के सुपुर्द की गयी ।


  
पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- **103-13**

दिनांक :- **17-1-22**

### प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, भीलवाडा।
2. श्रीमान अध्यक्ष राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर जिला भीलवाडा।
4. श्रीमान पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर।
5. श्री राजेन्द्र सिंह नैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष ईकाई-प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

  
पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
राज0 जयपुर